36° अधिकतम | 25° न्यूनतम | सूर्योदय: 05.17 सूर्यास्त: 06:51

तैयारी पीना-पिलाना सेहत का बहाना 15

नई दिशाएं लो मेरिट वाले भी हो सकते हैं कॅरिअर में हिट

हिन्दुस्तान

नगर

www.livehindustan.com | वाराणसी, बुधवार, 14 जुलाई, 2010 | वर्ष 1, अंक 12, 18 पेज +6 पेज नई दिशाएं, मूल्य 3.50 रुपये, आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया, विक्रम सम्वत् 20

कोटे की कोई सीमा नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 50% से ऊपर आरक्षण संभव

श्याम सुमन

नई दिल्ली

शिक्षा और नौकरियों में एससी, एसटी व ओबीसी को आरक्षण देने की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय करने के 17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सीमा को तोड़ने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि है राज्य सरकारें अपने यहां 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण दे सकती हैं यदि उनके पास सीमा से ज्यादा आरक्षण देने के समर्थन में विश्वास योग्य आंकड़े मौजूद हों। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकारों को 50 फीसदी की आरक्षण सीमा से आगे जाने का अवसर मिल गया है।

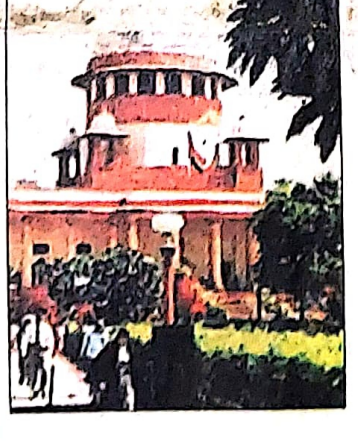

जानकारों का कहना है कि अब हर राज्य ज्यादा आरक्षण देने का प्रयास करेगा। पश्चिम बंगाल और बिहार में यह मुहिम काफी पहले से जारी है।

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.एच. कपाड़िया, के.एस. राधाकृष्णन और स्वतंतर कुमार की पीठ ने यह आदेश तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में आरक्षण की सीमा से ज्यादा आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए दिया।

पीठ ने तलिनाडु सरकार से कहा कि वह 1994 के कानून, जिसमें 69 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है को राज्य पिछड़ा आयोग को रेफर करे और उसके सामने यह सिद्ध करे कि उसके पास इस संबंध में विश्वसनीय आंकड़ा है। तमिलनाडु ने कानून बना कर उसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया था, जिसके कारण यह कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर हो गया था, लेकिन कर्नाटक और उड़ीसा के कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी।

खुला रास्ता

- नौकरियों और शिक्षा में ज्यादा आरक्षण देने का रास्ता साफ
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीमा तोड़ी जा सकती है बशर्ते कोटा देने के लिए भरोसेमंद आंकड़े मौजूद हों
- तीन राज्यों को दिए निर्देश

सीमा लंघ जाएगी

वह राज्य जिनमें यदि अल्पसंख्यकों या अन्य जातीय वर्गों को अब और आरक्षण दिया गया तो यह 50 फीसदी की सीमा लांघ जाएगा:

बिहार : यहां मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव है जो 50 फीसदी की सीमा लांघ जाएगा।

पश्चिम बंगाल : यहां भी सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव किया है।

आंध्र प्रदेश : यहां मुसलमानों को 5 फीसदी आरक्षण दिया गया है, यह 50 फीसदी सीमा से बाहर है जिसे हाईकोर्ट सुन रहा है।

राजस्थान : सरकार गुर्जरों को 5 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण देना चाहती है, यहां भी यह सीमा 50 फीसदी से ऊपर चली जाएगी।

आरक्षण की सीमा तोड़ने वाले कुछ राज्य

तमिलनाडु	69 फीसदी
कर्नाटक	70 फीसदी
उड़ीसा	65 फीसदी